राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 7(4)ग्रावि/नरेगा/एसई/परिसर वृक्षा./2014/RK-00994 जयपुर दिनांकः- 23 MAY 2018

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता देने के लिए दिनांक 01–15 जुलाई, 2018 तक सघन वृक्षारोपण पखवाड़े के आयोजन बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वृक्षारोपण का कार्य एक अनुमत गतिविधि है। योजनान्तर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये हुए है। इस वर्ष राज्य में मानसून का आगमन माह जून के द्वितीय पखवाड़े में सम्भावित है। अतः मानसून प्रारम्भ होते ही वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता देते हुए दिनांक 01–15 जुलाई, 2018 तक सघन वृक्षारोपण पखवाड़े का आयोजन किया जावे, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय कार्यालय एवं विद्यालय परिसरों (जिनमें चारदीवारी उपलब्ध है) में पर्याप्त वृक्षारोपण का कार्य करवाया जावे, ताकि इन परिसरों में सघन वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण के साथ–2 आस–पास का माहौल खुशनुमा एवं सुन्दर बनाया जा सके।

इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते है–

1. वृक्षारोपण पखवाड़े के आयोजन का भरपूर प्रचार–प्रसार किया जावे।
2. वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित वृक्षारोपण कार्यों की मानसून आने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी कर ली जावे तथा वृक्षारोपण से सम्बन्धित अग्रिम मृदा कार्य पूर्ण कर लिया जावे।
3. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर स्थापित विभिन्न राजकीय एवं अनुमोदित निजी नर्सरियों में क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त किस्म के पौधों की उपलब्धता का आंकलन करवाकर नियमानुसार वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जावे।
4. योजनान्तर्गत पौधों की सुरक्षा हेतु क्षेत्र की आवश्यकतानुसार डिच कम बण्ड फैन्सिंग, थौर/लाइव फैन्सिंग, सूखे पत्थर की चिनाई से तैयार दीवार (पहाड़ी क्षेत्रों में) बनाई जावे।
5. राजकीय कार्यालय एवं विद्यालय परिसरों में आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक छायादार एवं फलदार पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जावे एवं 4 वर्ष तक रखरखाव किया जावे।
6. पौधारोपण कार्य के आगामी 4 वर्ष तक रखरखाव का प्रावधान तकमीनों में किया जावे। पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने के लिए नियमित देखभाल, निराई गुड़ाई, पानी पिलाने के लिए नियमानुसार चौकीदार इत्यादि की व्यवस्था की जावे।
7. प्रत्येक परिसर का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य अवधि एवं कार्य समाप्ति के फोटोग्राफ लिए जायेंगे तथा विभागीय निर्देशानुसार जियो टेगिंग की कार्यवाही की जावे।
8. कार्यों का निष्पादन महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावे।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि पंरावि

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
6. अधिशाषी अभियंता (ए) को नरेगा सॉफ्ट में आंशिक संशोधन कराने हेतु।
7. सहायक निदेशक, आईईसी, कार्यालय हाजा को प्रचार—प्रसार हेतु।
8. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
9. श्री रिंकू, एमआईएस मैनेजर, कार्यालय हाजा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner